न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 24 / 2023

1. वंशीधर पुत्र श्री गुन्थे
2. रामप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर

जातिगण गोलापूर्व त्यागी निवासी ग्राम सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर

....वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) धौलपुर
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) धौलपुर जिला धौलपुर

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत भूमि धारक
4. राजस्थान राज्य तामील जरिये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर
5. लक्ष्मीकांत पुत्र श्री रामेश्वर जाति गोलापूर्व (त्यागी) निवासी ग्राम सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर

.....तरतीवी प्रतिवादीगण।

दावा स्थाई निषेधाज्ञा सादेश व्यादेश
आधीन धारा 188, आरटीए।

निर्णय दिनांक 15.07.2025

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है, कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 288, 289, 290 , 297 बांके ग्राम मुस्तफाबाद पटवर क्षेत्र दूबरा तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी ग्राम सरकन खेडा व मुस्तफाबाद की सीमा से लगी हुई है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 मौके पर काबिज काश्त है। असल प्रतिवादीगण व उनके कर्मचारीगण मौके पर डाबर सडक रास्ते के सामान लेकर आये और वादीगण की खातेदार की आराजी में नापतौल करने लगे प्रतिवादीगण ने उनके खातेदार की आराजी में नाप तोल करने व निशानात लगाने का कारण पूछा तो उस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण से यह इजहार किया कि वह तो वादीगण की खातेदारी की विवादित आराजी में जबरन बल पूर्वक बिना हक व अधिकार के रास्ता बनाकर उस पर डाबर डालकर पक्की सडक का निर्माण करेगें। प्रतिवादीगण बिना भूमि अधिग्रहण किये और बिना कोई मुआवजा दिये वादीगण की आराजी पर निर्माण करने के अधिकारी नहीं है। तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण से यह भी निवदेन किया कि विवादित आराजी में कोई रास्ता सडक व पटरी निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। और ना ही उन्होने सडक निर्माण हेतु कोई मंजूरी ली है इस पर प्रतिवादीगण नाराज होकर वादीगण को धमकी दी कि वह राज कर्मचारी है जहां अच्छा लगेगा वही से बल पूर्वक सडक निर्माण करेगें। वादीगण ने उनसे मुआवजे की मांग की तो वादीगण को जेल में सडवा देगे। प्रतिवादीगण की धमकी पर वादीगण ने अपने हितो की रक्षार्थ दावा प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्व की भूमि है उसके किसी भी भाग पर जबरन बल पूर्वक भूमि अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही किये बिना सडक नहीं निकालने हेतु प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री अभिनव जैन एवं प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

विजय प्रकाश कटारा एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ने जवाब द
इस आशय का पेश किया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कोई धमकी नहीं दी गयी। एन
44 भोले बाबा के मंदिर ग्राम दूबरा से सरकन खेडा तक प्रारंभ से ही रास्ता बना हुआ
करीब 15 वर्ष पूर्व उस रास्ते पर मनरेगा के अन्तर्गत कच्ची मरम वाली सडक बनायी गई
जिसको आम जन अपने आने जाने में उपयोग में लेते आ रहें। है। उक्त सडक मिसिंग लिं
वर्ष 2022–23 कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर (बजट
घोषणा) में स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर स्वीकृत हुई जिसकी प्रशासनिक एवं वित्ती
स्वीकृति दिनांक 24.07.2022 को लंबाई 1 किलोमीटर राशि 40 लाख रूपये प्राप्त हुई
प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व से बनी सडक पर डाबरीकरण किया जाना है। वादीगण द्वा
प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने के लिए असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया
जिसे मय हर्जा व खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के दावा से
वह सहमत है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को पाबंद किया जावे वह वादीगण व उत्तर
दाता की आराजी पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये एंव बिना भूमि अधिग्रहण की प्रकिया
अपनाए रास्ते का निर्माण न करें।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तहसीलदार धौलपुर से उक्त संबंध में वस्तु
स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार धौलपुर ने कथन किया कि
लगभग 2 वर्ष पूर्व एनएच 44 से सरकन खेडा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मौके
पर चालू रास्ते पर पक्की सडक का निर्माण कार्य किया जा रहा था पीडब्ल्यूडी विभाग
तत्समय ही सीमाज्ञान कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता न होने बाबत् अवगत करा
था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रास्ता निर्माण कार्यवाही कार्य वादीगण के खसरा नंबर
में से होकर एनएच 44 से सरकन खेडा के लिए बंद कर दिया गया था वर्तमान में भी कोई
निर्माण कार्य नहीं है।

वकील उभयपक्ष को तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट पर सुना गया। वकील वादीगण
ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वह कानूनी एवं भूमि अर्जन
अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये बिना वादीगण की विवादित आराजी पर सडक
निर्माण का कार्य नहीं करे, और न ही वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करें।

वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा वर्तमान में वादीगण
विवादित आराजी पर निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। दावा वादीगण खारिज फरमाया
जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट
अवगत कराया है कि विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कोई रास्ता दर्ज
है। तथा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वर्तमान में कोई निर्माण कार्य विवादित आराजी पर नहीं
किया जा रहा है। वादीगण के वाद पत्र में यह निवेदन किया गया है। कि विवादित आराजी
पर बिना भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों, वादीगण की आराजी को अवाप्त किये बिना
तथा बिना मुआवजा दिये रास्ते हेतु डाबर सडक का निर्माण न करें। पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेज से यह सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 288, 289, 290 , 297 बांके ग्राम
मुस्तफाबाद पटवर क्षेत्र दूबरा तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सह खातेदार काश्तकार है। तथा तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उनकी आराजी पर कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण अपने दावा को सिद्ध करने में सफल रहे है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 288, 289, 290, 297 बांके ग्राम मुस्तफाबाद पटवर क्षेत्र दूबरा तहसील व जिला धौलपुर पर भूमि अर्जन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही किये बिना सडक निर्माण का कार्य नहीं करें। परन्तु डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 24 / 2023

1. वंशीधर पुत्र श्री गुन्थे
2. रामप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर
जातिगण गोलापूर्व त्यागी निवासी ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर
....वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) धौलपुर
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) धौलपुर जिला धौलपुर
..................असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत भूमि धारक
4. राजस्थान राज्य तामील जरिये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर
5. लक्ष्मीकांत पुत्र श्री रामेश्वर जाति गोलापूर्व (त्यागी) निवासी ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर
.............तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा सादेश व्यादेश
आधीन धारा 188, आरटीए।

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं श्री अभिनव जैन एडवोकेट मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 288, 289, 290, 297 बांके ग्राम मुस्तफाबाद पटवर क्षेत्र दूबरा तहसील व जिला धौलपुर पर भूमि अर्जन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही किये बिना सडक निर्माण का कार्य नहीं करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 15.07.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 15.07.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)